उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5

सं0– 512 वि0अनु–5/ स्टाम्प/ 2002
देहरादून: दिनांक– 26 अक्टूबर, 2002

अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं0–05 सन् 2002) की धारा–1 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 23–10– 2002 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

(आई0 के0 पाण्डे)
प्रमुख सचिव, वित्त

सं0– वि0अनु0–5/ स्टाम्प/ 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– हिन्दी तथा अंग्रजी सूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे आगामी 2002 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड–ब में अवश्य प्रकाशित करा दें। तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को एवं 50 प्रतियां आयुक्त स्टाम्प उत्तरांचल/ महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल के कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

सं0– वि0अनु0–5/ स्टाम्प/ 2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–

1– महानिरीक्षक निबन्धन/ आयुक्त स्टाम्प, उत्तरांचल देहरादून को भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (उत्तरांचल अध्यादेश सं0 वर्ष 2002) के सम्बन्ध में वित्तीय विभाग द्वारा जारी अध्यादेश सं0 की प्रति संलग्न करते हुये इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को प्रति सहित आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

2– मण्डल आयुक्त, गढ़वाल, कुमायूँ।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002
(उत्तरांचल अध्यादेश सं0–05 सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

अध्यादेश

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1809 का उत्तरांचल राज्य में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन

के लिए

चूंकि राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है और श्री राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है,

अतएव संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निम्न लिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1– (1)यह अध्यादेश भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002, कहा जायगा।

(2)इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3)यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

अधिनियम सं0 2 सन् 1899 की (अनुसूची 1–ख) का संशोधन 2– भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (अनुसूची 1–ख) में,

(क) अनुच्छेद 35 (पट्टा) में,–.....

(एक) खण्ड(क) में, उपखण्ड (VI), (VII) और (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात:–

"(VI) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वत के लिये तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क) पर देय हो।"

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:–

"(ख) जहाँ कि पट्टा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है:–

(एक) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के,जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो।
(दो) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार, मूल्य के, बराबर प्रतिफल वाले हस्तारण पत्र (सं0–23 खण्ड(क)) पर देय हो,

(ग) जहाँ कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मन्जूर किया गया है:–

(एक)जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नही किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता– परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा।
(दो) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,	वही शुल्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड(क)) पर देय हो।

(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगा।

(सुरजीत सिंह बरनाला)

राज्यपाल

उत्तरांचल